[illegible]

[illegible] UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]

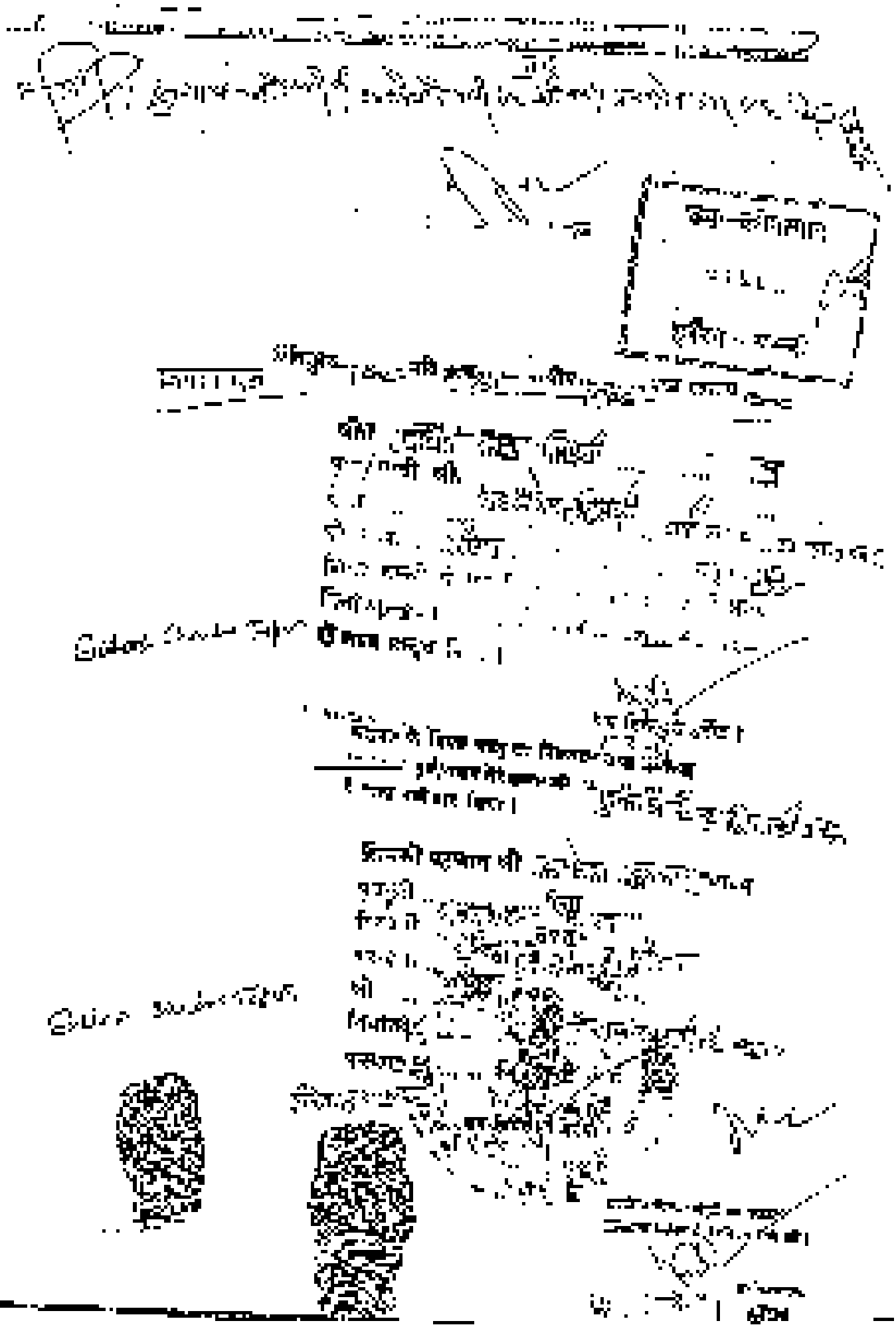

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH

AL 772656

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 775614

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 774470

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1958 की धारा 82 एफ के अनुसरण में [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

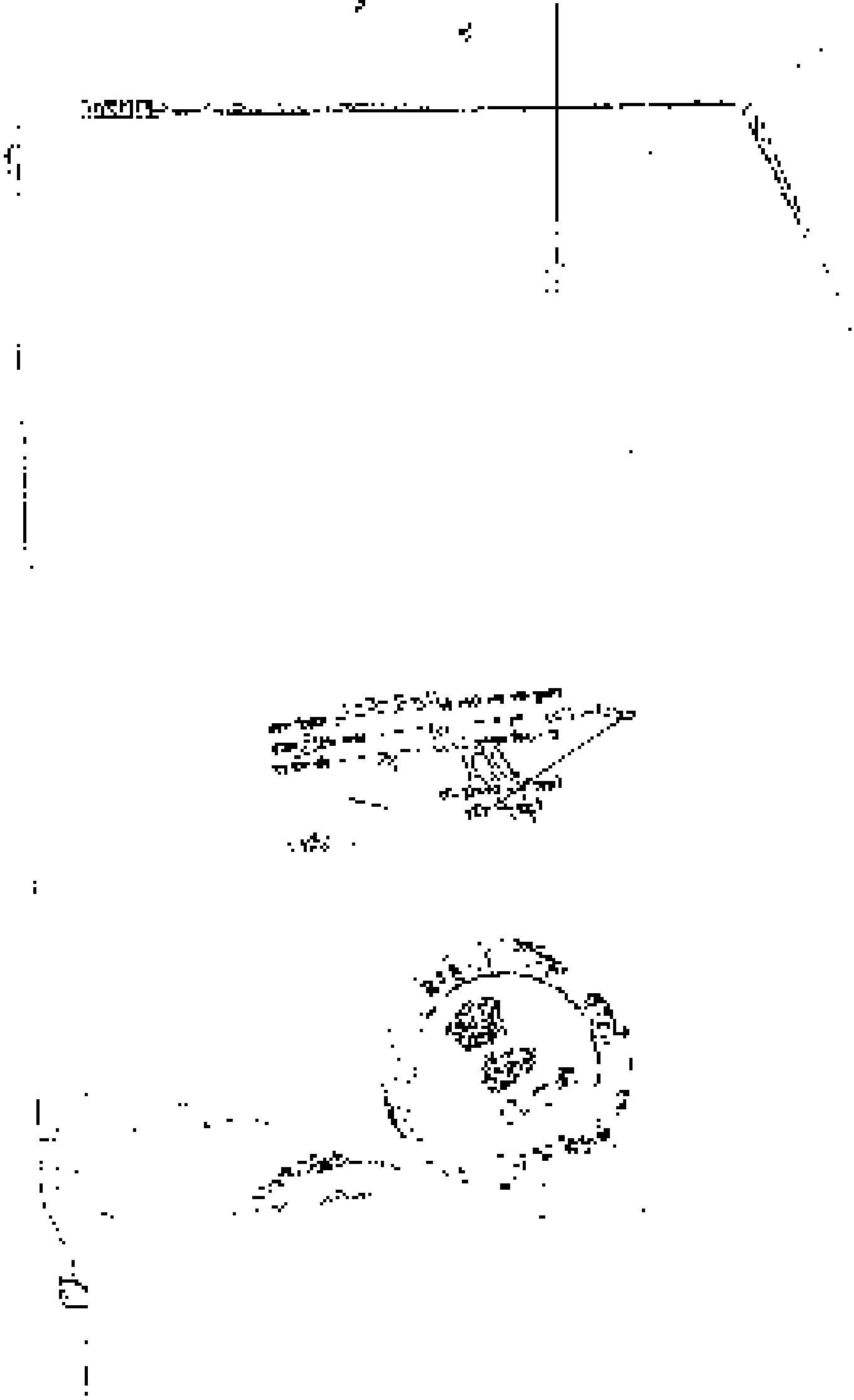

भारत INDIA

ONE HUNDRED RUPEES

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

757947

(ii) मेसर्स [illegible] (लिमिटेड-संख्या 6/2011)

[illegible] 1882 के अन्तर्गत आवेदक [illegible] के

[illegible] पर [illegible]

1. [illegible] के उद्देश्य—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7. [illegible] के माध्यम संसाधन विकास, कृषि [illegible], बागवानी एवं पर्यावरण [illegible], [illegible] विकास, [illegible], जिला, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग [illegible] [illegible] एवं न्याय, [illegible] ग्राम विकास, [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible], पुर्वोदय योग विकास [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] एवं [illegible] [illegible] [illegible]

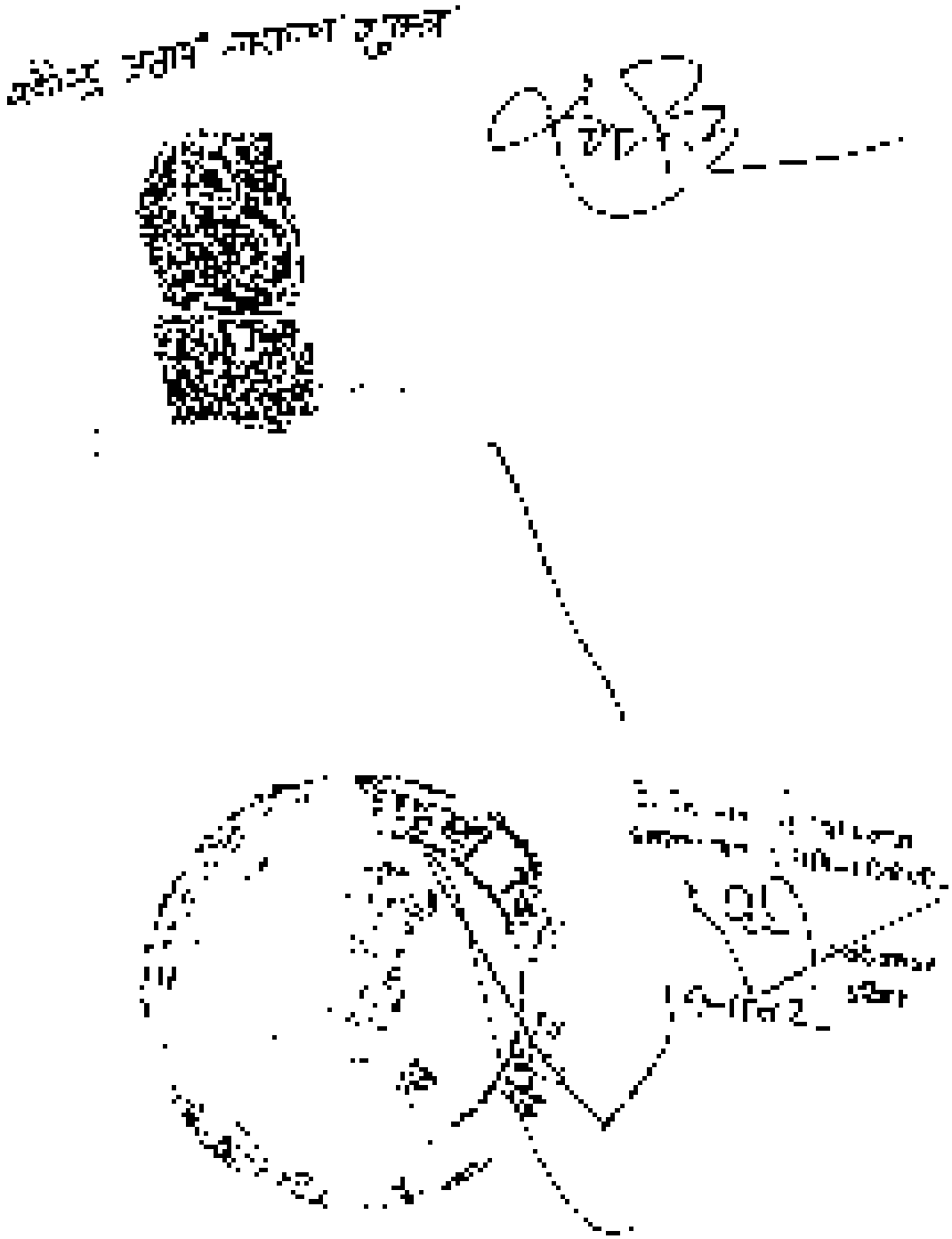

[illegible] ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूर्ति करना।

1. देश की [illegible] सरकारों, [illegible] सरकारों व गैर सरकारी [illegible] से उनके साथ कार्य करना तथा [illegible] के लिये अस्पताल, शुश्रूषालय, [illegible], यातायात, सड़क निर्माण, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, शापिंग कॉम्पलेक्स बनाने का कार्य करना।

2. [illegible] धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार, साधु संतों के सेवार्थ कार्यक्रम, समस्त धार्मिक कार्य, सभाएं का प्रबंधन, भजन कीर्तन, [illegible] गोष्ठि एवं [illegible], [illegible] के [illegible], पूजा-पाठ [illegible], पूजा पाठ [illegible], [illegible] आदि कार्य, धार्मिक पुस्तकें/[illegible] [illegible] [illegible] का प्रकाशन करना, [illegible] व संरक्षण करना।

13. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वैधानिक नियमों व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, [illegible], [illegible] से [illegible] करना अथवा प्रदान कर सकता, [illegible] ट्रस्ट [illegible] के लिये [illegible] करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएँ निःशुल्क करना मुख्य पर ही देने का प्रयास करेगा। [illegible] के अन्तर्गत समस्त कार्य करना। ट्रस्ट अपनी आय एवं [illegible] में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करना।

14. कोई भी संस्था, समिति, संगठन, निकाय, ट्रस्ट, भारत सरकार व अन्य राज्य सरकार सहित भारत के अन्य राज्यों का कोई मंत्रालय, विभाग या देश विदेश के कोई भी व्यक्ति अपना कोई विभाग, अस्पताल, पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] आदि इन ट्रस्ट को प्रदान करते हैं। तो वह ट्रस्ट उन संस्थाओं से संस्था अपने में चलाकर अपने अनुसार उनकी व्यवस्था, संचालन, प्रबन्ध करेगी।

15. कोई भी संस्था, समिति, संगठन, निकाय, या ट्रस्ट संचालन से अपना निकाय [illegible] ट्रस्ट में करना चाहे तब ट्रस्ट उसे [illegible] के [illegible] अपने में समाहित कर [illegible] अनुसार उसका संचालन, संगठन, प्रबन्ध करेगी।

2. प्रशासनिक सम्बन्ध :

[illegible] में [illegible] ट्रस्ट [illegible] मंत्रालय के [illegible] [illegible] सोसाइटी जो कि मुख्य न्यासमण्डल ट्रस्ट भाव के विलेख के स्वामित्व में है जो इस ट्रस्ट पर [illegible] ट्रस्टी/[illegible] सुनिश्चित किया जाता है।

3. <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का</u>

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में [illegible] मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की नियुक्ति करे।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर किसी को भी नामित कर सकता है।
3. किसी भी स्थिति में, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पदों पर किसी वह सदस्य अनिवार्य रूप से आवेगा, जो कि उच्च शिक्षा के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के प्रयोजन हेतु रखे है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को घोषित न कर पाने एवं अचानक काल के मुँह में समा जाने की स्थिति में सदस्य में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रतिनिधि ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई रुकावट होने पर उपरोक्त अधिनियम की धाराओं में उल्लिखित तरीके से किया जा सकता है।
5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके नामित कर देंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष वह सदस्य, परिवारजन या उसका परिचित व्यक्ति अथवा अपनी जीवित रहते ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष नामित कर सकता है। इस प्रकार नामित व्यक्ति में यह भी स्पष्ट करना है कि नामित मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपनी जीवन काल में उत्तराधिकारी को नामित नहीं किया गया तथा व्यवस्था की अनिवार्य रूप से पालन होगी.
6. उपरोक्त नियम में स्पष्ट लिखा जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यकाल डालने अधिनियमों को कार्यालय रूप में उपलब्ध कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार करके निर्णय भी बदल सकता है
7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को लिखित रूप में नियुक्त एवं नामित करने हेतु स्वतंत्र है परन्तु यह भी कि वास्तविक रूप से कार्यालय अपने उत्तराधिकारी को न सौंप सकें।
8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यालय हस्तान्तरण सामग्री अधिकारी सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि पालित रहते तो विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने एवं उनका क्रियान्वयन करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें की उपरोक्त पदों के अतिरिक्त मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करने अथवा उनका पदमुक्त कर सकेगा। ट्रस्टी की नियुक्ति करने मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर रहती है. तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का आजीवन नामांकन करने के पूर्व भी बिना नोटिस को कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष चाहे तो उचित समय में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भंग कर सकता है। लेकिनसी अवस्था मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।
4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अनुशंसाओं पर विचार करेगा तथा निर्णय देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतः मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर

[illegible] है। इस [illegible] मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अंतिम होगा।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य एवं शक्तियाँ:-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न गतिविधियों से संबंधित निर्माण, [illegible] एवं [illegible] की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन गतिविधियों के संचालन एवं सुनियोजित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना कार्य संपादित करने करने हेतु ट्रस्ट से मानदेय, भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा। मानदेय, भत्ते आदि पर यदि कोई आपत्ति आयेगा है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपने [illegible] कर सकते हैं। [illegible] ट्रस्ट इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

6. कार्यकाल:-

1. ट्रस्ट का कार्य शेष आजीवन होगा यह सामयिक परिवर्तन हेतु किसी ट्रस्टी राष्ट्र या अन्य किसी से अनुदान एवं दान प्राप्त कर सकता है अपनी उद्देश्यों व नियम के अधीन है।

7. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार:-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के कार्यों के संचालन हेतु किसी से अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता है तथा उनका द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्य निरस्त, हटाने, अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा के कार्यकलापों से किसी भी तरह पूर्ण कोई भी विवाद होने पर उनका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य एवं स्वीकार्य होगा।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य के संचालन हेतु के उपयोग के लिये एक कार्यालय की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों की कार्यालय की नियुक्ति कर सकेंगे। उनका/उनकी के लिये, भले सुविधाएं आदि नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। कार्यालय/अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुसार [illegible]/[illegible] कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये [illegible] पर कार्यरत अधिकारी की विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। [illegible] अथवा कर्मचारी व्यक्तियों के उपरोक्त पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा [illegible] पदों को समाप्त एवं अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित कर सकता है।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के दिन प्रतिदिन [illegible] कार्यों की [illegible] ढंग से करने एवं [illegible] करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक [illegible] का आवश्यकतानुसार पदों का एक करना।

[illegible] अथवा [illegible] की नियुक्ति कर सकेगा। लेकिन, इस [illegible] के लिए, पक्षों [illegible], पक्षों निरस्त [illegible] ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा नियोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, [illegible] सामान्य नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय लिखित आदेश बनाकर उक्त पदों पर सामान्य आवेदकों के लिए प्रशासनिक/लिपिक/[illegible]/[illegible] कर्मचारी भर सकता है; जबकि पदों के अधिकार एवं कर्तव्य [illegible] अन्य [illegible] को [illegible] सकते हैं।

4. ट्रस्ट ट्रस्ट के कार्यालय [illegible], लिपिकीय [illegible] एवं अन्य निर्णय लेना;
5. [illegible] ट्रस्टीगण की बैठक बुलाना एवं [illegible] करना
6. ट्रस्ट ट्रस्ट [illegible] में संलिप्त ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन, परिवर्तन कर सकता जो कि [illegible] के [illegible] [illegible] के विचार में लाए होगा;

8. <u>उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-</u>

1. नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की अनुपस्थिति विशेष पर विचार विमर्श हेतु कोई आम ट्रस्टीगण की बैठक बुलाना [illegible] करना परन्तु अध्यक्ष बिना नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता है। नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये अन्य कार्य उपाध्यक्ष को करना।

9. मुख्यालय/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य—

1. ट्रस्ट के दायित्व कार्यों के लिये ट्रस्ट का सचिव अधिकृत व्यक्ति है। ट्रस्ट के [illegible] को पूरा करने हेतु सभी [illegible] एवं कार्यवाही के प्रभार ट्रस्ट के सम्पादित होने वाले सभी कार्यकलापों हेतु जिन [illegible] के [illegible] पर [illegible] रखना एवं नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष के समक्ष में लाकर समयानुसार [illegible] निर्देश, आदेश प्राप्त करना। ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु कार्यकारिणी की नियुक्ति, [illegible] कर उपयोग किया [illegible] कार्यालय [illegible] हेतु अधिकार के साथ प्रस्ताव रखना, ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु नियमों, योजनाओं, [illegible] रखरखाव का [illegible] पालन [illegible] निदेशकों गठनकारिणी कमेटी की नियुक्ति का प्रस्ताव [illegible] में [illegible] संचालन हेतु नियमानुसार नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष के समक्ष रखकर अनुमोदन प्राप्त करना। ट्रस्ट की प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु समिति गठित करना एक से अधिक विशेष कार्यदायित्व नियुक्त होने की स्थिति में [illegible] नियमानुसार नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष से [illegible] प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना। नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष को [illegible] [illegible] निवेदन, [illegible] की सर्वोत्तम व्यवस्था करना [illegible] के दायित्वों वैधानिक [illegible] का प्रस्ताव नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष के समक्ष रखना, नियोजित ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये अन्य दायित्व कार्य [illegible] करना।

10. [illegible] पाचित पट्टे शक्तियाँ एवं कर्तव्य:–

- [illegible] अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का [illegible] संचिव द्वारा लोकहित हेतु पारोक्षण [illegible] पर उन अधिकारों [illegible] का उपयोग करना जो उसे लिखित [illegible] से प्रदत्त हो। पीठासीन [illegible]/अध्यक्ष द्वारा दिये गये [illegible] कार्य [illegible] करना

11. बैंक [illegible]:–

1. ट्रस्ट का [illegible] बैंक [illegible] पालिकाओं में [illegible] संचालन ट्रस्ट के पीठासीन [illegible]/अध्यक्ष द्वारा किया [illegible]। अथवा उनके द्वारा [illegible] हेतु अधिकृत व्यक्ति पीठासीन [illegible]/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार [illegible] खाता [illegible] संचालित कर सकता है
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा [illegible] किसी भी [illegible], विद्यालय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] का [illegible] नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। ट्रस्ट नियम [illegible] के ट्रस्ट के चालित अथवा [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है, किन्तु खाता खोलने के अनुमति [illegible] पीठासीन [illegible]/अध्यक्ष के द्वारा [illegible] अनिवार्य होगी।

12. [illegible] कार्यवाही:–

1. [illegible] ट्रस्ट की [illegible] के विधिक कार्यवाही की जानी है या उनके विरुद्ध [illegible] विधिक कार्यवाही होनी है तो संचिव पीठासीन [illegible]/अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विधिक कार्यवाही में पैरवी स्वयं या अन्य का अधिकृत कर सकता है।

13. ट्रस्ट के पदाधिकारी:–

1. [illegible] पीठासीन [illegible]/अध्यक्ष/संरक्षक– [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
2. [illegible]/सचिव– [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
3. [illegible]– [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
4. [illegible]– [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]–[illegible]।
5. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]–[illegible]।

14. [illegible]

1. [illegible] के सम्बन्ध में यह एकमात्र अधिकृत [illegible] है जो कि एक [illegible]/आदेश का रूप है.
2. [illegible] की ओर से [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] कोई [illegible] [illegible] [illegible] बनाने हेतु [illegible] लोगों [illegible] को अधिकृत कर सकता है।
3. [illegible] की ओर से [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] बनाने एवं [illegible] करने हेतु [illegible] का अन्यत्र [illegible] एवं [illegible] है
4. [illegible] [illegible] [illegible] कर सकता [illegible] रख सकता है, [illegible] पर से [illegible] ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. [illegible] [illegible] [illegible]

समाचार व्यवहार में [illegible] हेतु निम्न गाड़ियों की [illegible] दिये गये हैं।

[illegible] / दिनांक 15.11.2025

(सुभाष चन्द्र तिवारी)
पुत्र श्री [illegible]
मुख्य ट्रस्टी / सचिव / संस्थापक
गौ सेवा सेवा ट्रस्ट

[illegible]

गवाह– 1 [illegible]
पता– [illegible]
[illegible]

गवाह– 2 [illegible]
पता– [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] सेवा
[illegible]

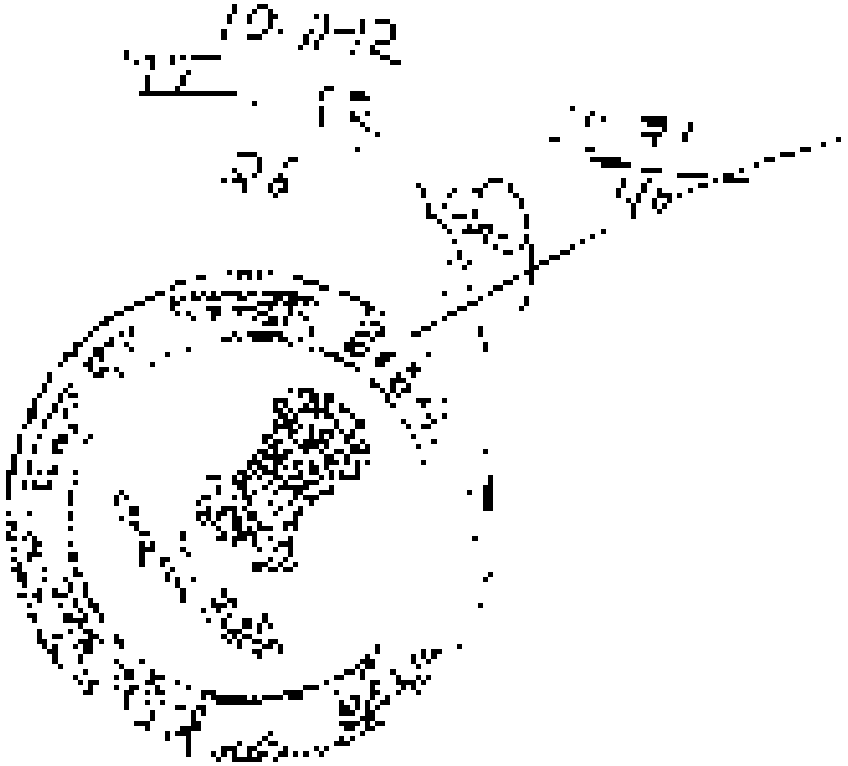

भारतीय गैर न्यायिक

500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 244367

न्याय पत्र संशोधन विलेख

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 375450

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No. [illegible] Year: [illegible] Date: [illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 535901

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2018 [illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6Z 555928

5. [illegible]

नाबालिग [illegible] के साथ [illegible] निम्नलिखित [illegible] निम्नलिखित [illegible] निम्नलिखित

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 550922

[illegible]

मुख्य नगर
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] DEMR/2016 [illegible]

[illegible] 4 [illegible] 17

[illegible] 354 [illegible] 362 [illegible] 20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

375275

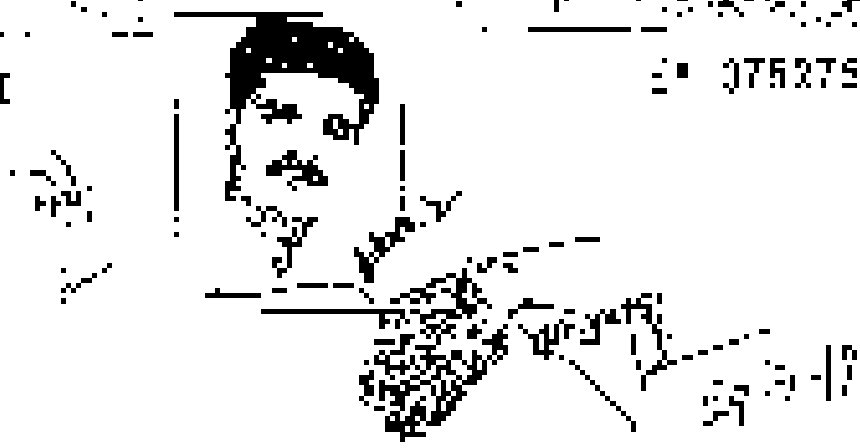

[illegible] -2 [illegible] विशेष

मैं कि सुरेश चन्द्र [illegible] श्री [illegible] विपरी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 375276

[illegible] 01.03.2011 को निष्पादित किया गया था.

[illegible] 01.03.2011 पोती [illegible]

प्रति पुस्तक की 1 खण्ड 10 पृष्ठ 108-120 क्र. [illegible] दर्ज [illegible]

[illegible] 17 पर यह [illegible] जाता था कि [illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EP 076977

अलाभ Not for Profit " आधार पर कार्य करेगा। इस प्रकार [illegible]

[illegible]

[illegible] 10 पर "[illegible] अलाभ Not for Profit "आधार पर कार्य करेगा।

[illegible] 10 पर [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 176279

[illegible] कर रहे हैं कि [illegible] 46 व 47 की कुल [illegible] जिसमें [illegible] पाया

[illegible] खेत जिसमें के [illegible] पाया जायेगा, इस जिसमें अलग से कोई

[illegible] नहीं होगा। [illegible] कर रहे हैं कि [illegible] की मुकदमा व [illegible]

[illegible] 01.03.2011 के फैसले से आज तक इस वाद में कोई अन्तर

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 176778